

and the right.

३२८ श्रीराम ।

二十一

卷之三

भार्यामै शिपुर पांख

१८८८ २ अद्याय लेख
१८८८ अद्याय लेख

1971-1982 73 1280F

TET 172 1977

लग्नातः लिप्तः ८ अक्टूबर, १९९५

TANAKA:-

त्रिविद्या विद्यार नान्दिर किंदिमिंद बाप्ति लै विद्युत्तमोर्ज नव विदी

३८४

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह इच्छा है कि महाराजा चित्रकूट
मन्दिर किंवद्दं नगर कानपुर को १००वी० से १०५० तक बड़ा दिलाकर तो संवृत्ता प्रदान कीजै
जाने में भला राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

११। विद्यालय की पंजीयूत सोनारकोटी का अम्ब तक पर भट्टोनीकरण कराया जायेगा ।

१२१ निष्ठात्म की इच्छा तनिति ऐ निष्ठा निष्ठाक द्वारा नास्था एक नष्टत्प होगा ।

१३१ पिट्ठपालय में कम्ते फ्रम द्वारा प्रतिष्ठित नवान् अनुबूद्धित ज्ञाति/अनुबूद्धित ज्ञाति के वर्धमान के लिए युक्तिपूर्वित रहेंगे और उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्राम्यमिल सिला परिवहन व्यापार संवालित पिट्ठपालवर्डी में पिट्ठिन्स एडज़ों के लिए निर्धारित हुल्क ते अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

१५। तत्त्वपा द्यारा राज्य सरकार ने लिखी अनुदान की मार्गी नहीं की पायेगी, और यदि पुर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वैतिह शिक्षा पारिषद् ने गान्धारा प्राप्त है तथा विद्यालय की तस्वीर छेद्योपचार्य शिक्षा पारिषद्/वैतिह करने के लिए इसका भी उत्तर प्राप्त होता है तो उत्तर प्राप्त परिषद् ने सम्बोधा प्राप्त होने छी तिथि ते परिषद् ने गान्धारा तस्वीर राज्य सरकार ने अनुदान रखतः समाप्त हो पायेगी ।

151 तंत्रिया शास्त्रिक सर्व पिण्डीत्तार चर्चारियों को राजनीय सहायता प्राप्त
शिखन तंत्रियाओं के चर्चारियों लो अनुभवन्य देत्तमानों तथा अन्य भक्तों
ते अन देत्तमान तथा अन्य भक्तों वधीं दिये जायें।

161. एक्षात्रियों की तेज़ दृष्टि कापी जायेगी और ३-५ महीने पहले
जगत्कालीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में
तेज़ा निष्पृष्ठित का ताम उपलब्ध कराये जायेंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा उम्मीद यह को भी आदेश निर्गत
किए जायेंगे, तस्या उनका पालन होंगी ।

18। विद्युत्याप वा फिल्ड नियांरित प्रपत्र/विधियाँ में रहा जायेगा

19। उक्त इतरों में राज्य सरकार ने पूदानुयादन के किंवा कोई
परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उत्तिष्ठन्य वह भी होगा जो तथा द्वारा पहले हुनिवित रिया
जाय कि तंत्या वा अन्यों भवन बासादर यथा उम्मीदान को दूषित किया
जायगा ।

3- उक्त प्रतिष्ठन्यों वा वालन करना नहीं के लिए अनिवार्य होगा
जौर पट्टि किसी सम्म यह पाया जाता है कि तंत्या द्वारा उक्त प्रतिष्ठन्यों
वा वालन नहीं किया जा रहा है अथवा वालन छरने में किसी प्रकार वीं पूँछ वा
विधिता घरती वा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण
पर शपत में लिया जायेगा ।

मधुटीय,

अमौर गांगड़ी।
उप सचिव ।

पूर्णो ईरम । 16/11/15-7-1995 तदादिनांक

प्राक्तिक्षिणि निम्नानिहित को हुननार्थ एवं आधायक कार्यालयी हेतु
प्राप्तिः -

- 1- किंवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, तखनऊ ।
- 2- कार्डलोय उप किंवा निदेशक, कानपुर ।
- 3- किंवा प्रधानमन्त्रीय विरीधि, कानपुर ।
- 4- निरीधि, अमौर भारतीय विद्युत्याप 3030 तखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, महार्वि विद्या मन्दिर विद्युत्यनगर छानुपुर ।

जाति ने

T
Mrs REKHA TERADE
Principal
Maharishi Vidya Mandir
C.B.S.E. Affiliated
KANPUR

अमौर गांगड़ी।
उप सचिव